

भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)  
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1886

(दिनांक 17.03.2022 को उत्तर के लिए)  
सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाना

**1886. डा. अनिल अग्रवाल:**

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव है; और  
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

\*\*\*\*\*

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS  
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

**RAJYA SABHA**  
**UNSTARRED QUESTION NO. 1886**  
(TO BE ANSWERED ON 17.03.2022)

**INCREASE IN RETIREMENT AGE**

**1886 DR. ANIL AGRAWAL:**

Will the **PRIME MINISTER** be pleased to state:

- (a) whether there is any proposal with Government to increase the retirement age of Central Government employees; and
- (b) if so, the details thereof?

**ANSWER**

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES  
AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE  
(DR. JITENDRA SINGH)**

(a) & (b): There is no proposal under consideration of the Government to increase the retirement age of Central Government employees.

\*\*\*\*\*